राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2773/2025

बुधराम **–अपीलार्थी**

बनाम

1. सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. विशिष्ठ सचिव, शिक्षा ग्रुप–II, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 12.05.2025
आदेश की दिनांक : 04.06.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री दिलीप सिंह कुरका, अभिभाषक

समक्ष :– विकास सीताराम भाले, अध्यक्ष
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क किया कि अपीलार्थी वर्तमान में उपप्रचार्य के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, 2 एडीएम, ब्लॉक पूंगल जिला बीकानेर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 02.04.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा वर्ष 2024–2025 की रिक्ति के विरूद्ध प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति हेतु अस्थाई पात्रता सूची जारी की गई। उक्त पात्रता सूची में अपीलार्थी को सम्मिलित नहीं किया गया। अपीलार्थी द्वारा पात्रता सूची में सम्मिलित नहीं किये जाने के संबंध में दिनांक 28.04.2025 (अनुलग्नक–2) के द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया। जिस पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। जबकि पूर्व में व्याख्याता से उपप्राचार्य के पद पर वर्ष 2022–2023 से पदोन्नत किया गया। उनका आगे कथन है कि अपीलार्थी के व्याख्याता पद पर रहते हुए उन्हें सीसीए नियम–1958 के नियम–17 के तहत दिनांक 16.07.2020 को आरोप पत्र दिया गया। अपीलार्थी ने आरोप पत्र का विस्तृत जवाब प्रस्तुत किया। प्रत्यर्थी

विभाग के आदेश दिनांक 08.10.2020 (अनुलग्नक–3) परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किया गया। अपीलार्थी ने दण्ड आदेश के विरूद्ध अपील की लेकिन प्राधिकारी द्वारा दिनांक 30.03.2024 (अनुलग्नक–4) के द्वारा अपीलार्थी की परिनिन्दा के दण्ड को यथावत रखे जाने के आदेश पारित किये। उनका कथन है कि अपीलार्थी पर लगाये गये परिनिन्दा के दण्ड के कारण अपीलार्थी का नाम दिनांक 02.04.2025 की अंतिम पात्रता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। कार्मिक विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 22.10.2024 (अनुलग्नक–9) के द्वारा उच्च पद पर पदोन्नति हेतु परिनिन्दा के दण्ड पर विचार नहीं किया जा सकता। अपीलार्थी अपनी वरिष्ठता, पात्रता एवं परिपत्र दिनांक 22.10.2024 के अनुसार वर्ष 2024–2025 की रिक्ति के विरूद्ध प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति पाने का हकदार है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 02.04.2025 को जारी अन्तिम पात्रता सूची को अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 28.04.2025 के अनुसार वर्ष 2024–2025 की रिक्ति के विरूद्ध अपीलार्थी को प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति प्रदान कर समस्त पारिणामिक लाभ दिये जावे।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों पर अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

5. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए, अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में

एक आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दें। यहां पर यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिये नहीं दिये जा रहे हैं, वरन् मात्र इस आशय से दिये जा रहे हैं कि अभ्यावेदन को निर्धारित अवधि में नियमानुसार निस्तारित किया जावे।

6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(विकास सीताराम भाले)
अध्यक्ष